संख्या-2/15/7/2013-का-4-2014

प्रेषक,

मदन मोहन पाण्डे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
लोक सेवा आयोग,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 02 अप्रैल, 2014

विषयः- लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2014-2015 (माह अप्रैल, मई, जून एवं जुलाई, 2014) हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय, वित्तीय वर्ष 2014-2015 (माह अप्रैल, 2014 से माह जुलाई, 2014 तक) के लिए उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम-2014 (अधिनियम संख्या-3, सन्-2014) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के वचनबद्ध व्यय के लिए राजस्व लेखा एवं पूंजी लेखा को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रूपये 14,25,84,000.00 (रूपये-चौदह करोड़ पच्चीस लाख चौरासी हजार मात्र), जिसका मदवार विवरण निम्नवत् है, अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

मद का नाम	धनराशि (हजार रूपयों में)
01-वेतन	37333
02-मजदूरी	3666
03-मंहगाई भत्ता	39200
04-यात्रा व्यय	2333
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	33
06-अन्य भत्ते	6666
07-मानदेय	1833
08-कार्यालय व्यय	16666
09-विद्युत देय	2000
10-जलकर/जल प्रभार	1333
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	700
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	366
13-टेलीफोन पर व्यय	166
14-कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय	-
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	300
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	333
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	1000
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	15000
23-गुप्त सेवा व्यय	12300
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	-
29-अनुरक्षण	100
42-अन्य व्यय	6
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	33

http://shasanadesh.up.nic.in

45-अवकाश यात्रा व्यय	50
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	33
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	368
49-चिकित्सा व्यय	500
51-वर्दी व्यय	100
योग-	142418
पूंजी लेखा- 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 01-कार्यालय भवन 800-अन्य व्यय 03-राज्य लोक सेवा आयोग के आवासीय/अनावासीय भवनों के लघु निर्माण कार्यों हेतु व्यवस्था 25-लघु निर्माण कार्य	166
महायोग-	142584
(रूपये-चौदह करोड़ पच्चीस लाख चौरासी हजार मात्र)	

2- स्वीकृत व्यय पूरा करने के लिए प्रदेशनों (एलाटमेंट) में से धनराशि का विनियोग बजट मैनुअल के संबंधित नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों द्वारा नियंत्रित होगा। धनराशि के प्रदेशन मात्र से ऐसा व्यय करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा, जिसे करने के लिए बजट मैनुअल तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता हो। जहां ऐसे अनुमोदन की आवश्यकता हो, वहां व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्रापत कर लिया जाय।

3- उपर्युक्त व्यय अनुदान संख्या-20 में लेखाशीर्षक, ''2051-लोक सेवा आयोग-आयोजनेतर-102-राज्य लोक सेवा आयोग-03-राज्य लोक सेवा आयोग (भारित)'' के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(मदन मोहन पाण्डे)
विशेष सचिव

संख्या-15/7/2013(1)-का-4-2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. निदेशक, वित्त सांख्यिकी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
7. वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1/2
8. कार्मिक अनुभाग-3

आज्ञा से,

(मदन मोहन पाण्डे)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in